"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 707] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2025 — भाद्र 17, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2025

आदेश

क्रमांक 3313/21–ब/छ.ग./2025.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन्, 1960 की धारा–9 की उपधारा (1)) सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक 14 सन्, 1947) की धारा–7 (अ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा से छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश चंद्र साहू, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.